SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

भाषा और समाज का अन्तःसंबध

रमाकांत,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Author
रमाकांत,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर,
मध्यप्रदेश, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 05/01/2021
Revised on : -----
Accepted on : 12/01/2021
Plagiarism : 02% on 05/01/2021

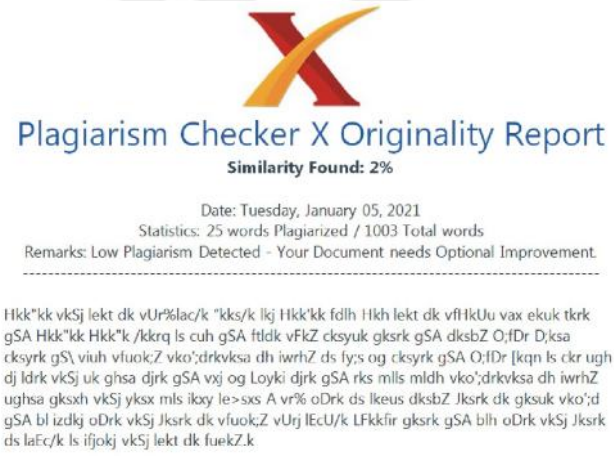

शोध सार

भाषा किसी भी समाज का अभिन्न अंग माना जाता है। भाषा भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ बोलना होता है। कोई व्यक्ति क्यों बोलता है? अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पुर्ती के लिये वह बोलता है। व्यक्ति खुद से बात नही कर सकता और ना हीं करता है। अगर वह स्वलाप करता है, तो उससे उसकी आवश्यकताओं की पुर्ती नहीं होगी और लोग उसे पागल समझेगे। अतः वक्ता के सामने कोई श्रोता का होना आवश्यक है। इस प्रकार वक्ता और श्रोता का अनिवार्य अन्तर सम्बन्ध स्थापित होता है। इसी वक्ता और श्रोता के संम्बध से परिवार और समाज का निर्माण होता है। मेरी दृष्टि से भाषा मात्र मनुष्य के मनुष्य होने की पहचान और शर्त है। भाषा के बिना मनुष्य, मनुष्य नहीं होता है। पशु से मनुष्य के विकास मे भाषा ही वह सीढ़ी है, जिसकों पार करके वह मनुष्यत्व प्राप्त करता है। अवधारणा करने की शक्ति और उसके साथ–साथ यह प्रश्न पूछने की शक्ति कि, मैं कौन हूँ, या मैं क्या हूँ? मैं क्यों हूँ, यही मनुष्यत्व की पहचान हैं।

मुख्य शब्द

भाषा, समाज और मनुष्य।

भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जब विचार व्यक्त किये जा रहे थे, तब यह भी चर्चा का विषय रहा था कि सबसे पहले किसने जन्म लिया, भाषा ने या समाज ने। कुछ विद्वानों का मानना था कि भाषा समाज में उपयोग किया जाने वाला साधन है, इसलिये समाज का निर्माण पहले हुआ होगा, और जब उस समाज कों एक दूसरे के साथ सम्प्रेषण की आवश्यकता या आपस मे बातचीत करने की जरूरत पड़ी होगी तब उसने संकेतो के माध्यम से भाषा कों बनाया होगा, क्योकि बिना सम्प्रेषण किये एक साथ रह पाना मनुष्य के लिये तो मुश्किल है ही, वही जानवरों के लिये भी

मुश्किल है। सम्प्रेषण समाज के लिये बहुत आवश्यक है। एक अच्छे सम्प्रेषण से ही एक अच्छे मनुष्य की पहचान होती है, और एक अच्छा मनुष्य एक अच्छे समाज की नींव रख सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह कहा जाता है कि एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो एक अच्छा मनुष्य एक अच्छे समाज की संरचना क्यों नही कर सकता है।

जब भाषा और समाज की बात आती है, तो कुछ विद्वानों का मानना है, कि मानव पहले समूहों में रहता था, वह पूर्णतः अन्य पशुओं की तरह जंगल में रहकर अपना जीवन व्यतीत करता था। उसके पास न तों कोई संस्कृति थी, और ना ही जीवन व्यवहार के कोई अन्य नियम थे। एक पूर्ण समाज उसी कों कह सकते है, जिसके पास एक संस्कृति और अपनी कोई भाषा हो। इसलिये उनका मानना है, कि जब मानव समूहों में रहते थे। तो वे एक दूसरों कों जंगलों में मिलनें के उपरान्त आपस में सम्प्रेषण नहीं कर पाते थे, ऐसे समय में वे एक दूसरे के विरोधी भी हो जाते थे, इसलिये उन्होंने पहले भाषा को विकसित करने का काम किया, जिसके माध्यम से उन्होंने उस समुदाय कों सम्प्रेषित जीवन व्यवहार के नियमों में बाँधकर एक भाषायी समाज कों विकसित किया। इस प्रकार देखा जाये तो पहले भाषा का निर्माण हुआ और बाद में समाज का निर्माण हुआ था। भाषा वैज्ञानिक और समाज शास्त्री एक दूसरे से सहमत हो न हों लेकिन यह तो स्पष्ट है, कि भाषा और समाज के निर्माण में दोनों एक दूसरे के सहायक रहे, जिससे केवल भाषा और समाज ही नहीं संस्कृति का भी विकास हुआ। इस प्रकार भाषा और समाज का एक दूसरे से उनकी उत्पत्ति से ही सम्बन्ध रहा है, जिसके कारण उनकी परिभाषाओं में भी एक दूसरे कों स्वीकारे बिना भाषा और समाज की परिभाषाऐं पूर्ण नही होती।

भारत को आजाद हुये आज कई साल हो गये है, उसके बावजूद भी लोगों के साथ जो महत्वपूर्ण समस्या है, उनमें सबसे विकराल समस्या सामाजिक विषमता और भाषा ही है। जब भारत का विभाजन किया गया था, तब मात्र धर्म ही को आधार न मानते हुये भाषा समाज और संस्कृति को भी उत्तरदायी माना गया था। इसे हमें नहीं भूलना चाहिये क्योंकि यही धर्म की महत्वपूर्ण कड़ियॉ हैं, इसके बावजूद भी भारत को आजाद हुये 74 साल बाद भी संघठित भारत की एक राष्ट्र भाषा नही है।

आज भारत देश में भाषाओं की बात की जाये तों संवैधानिक रूप से 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, जो समय–समय पर लोगों की मांगों का प्रतिफल रहा है। इन 22 भाषाओं को भारत के सविंधान की 8 वीं अनुसूची में जगह दी गई है। जब बात की जाऐ मूल सविंधान की तो, सविधान में मूल रुप से 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, लेकिन बाद में समाज की मांग को देखकर समय–समय पर अन्य भाषाओं को जोड़ा गया। सबसे पहले 1967 में सिंधी भाषा को, वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी तथा इसी तरह से वर्ष 2003 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। अतः उन विद्वानों का कहना उचित होगा जिनका मानना था कि भाषा को जन्म समाज ने दिया है।

अगर समाज इन भाषाओं की जरुरतों को नही समझता तो इन 22 भाषाओं का जन्म नही होता। अतः हम कह सकते हैं, कि आज भी भाषा और समाज दोनों एक दूसरे के अभिन्न अंग बन गये है। भाषा के बिना समाज का निर्माण नहीं हो सकता और समाज के बिना भाषा का निर्माण नहीं हो सकता है।

निष्कर्ष

इस शोध पत्र में भाषा और समाज के अन्तर सम्बन्ध को लेकर चर्चा की गई है, जिसमे भाषा और समाज दोनों को एक दूसरे का अभिन्न अंग बताया गया है। अतः यह कहना उचित होगा कि भाषा और समाज दोनो एक दूसरे के अनुपूरक है। भाषा के बिना एक सभ्य समाज की रचना कर पाना मुश्किल होगा, और यह भी सत्य है कि एक अच्छे समाज के बिना भाषा का कोई भी औचित्य नही होंगा, क्योंकि एक अच्छी भाषा एक अच्छे मनुष्य की पहचान बनकर उसे उस समाज में एक उच्च दर्जा दिलवा सकती हैं, और एक अच्छे समाज को जन्म देती है। एक अच्छा समाज एक अच्छी संस्कृति को जन्म देता है।

संदर्भ सूची

1. विजयवर्गीय, शंकर, (2005), *भारतीय शिक्षा का इतिहास,* राजपाल एन्ड सन्स, दिल्ली।
2. रामाश्रय, (2004), *व्यक्ति समाज और संस्कार,* ज्ञान गंगा प्रकाशन।
3. भारत की भाषाई विडंवना और उसका मुकावला, सुनील शिक्षा और भाषा पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला होशंगाबाद, 2011।
4. संचार क्रांति, संस्कृति और समाज, 2011, www.nayajamana.blogspot.com
5. http://www.thefreedictionary.com/society
6. श्रीवास्तव, रवीन्द्रनाथ, *भाषाई अस्मिता और हिंदी,* वाणी प्रकाश प्र. संख्या 32।

****